

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों,
राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक : फा ()सविरा/मा.सं.वि./परि.एवं आ./सू.अ/368-548 दिनांक : 23-8-10

आदेश


प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(25) गृह-6/2006 दिनांक 3/5/2007 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (वर्ष 2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक फा.11 (723) सविरा/उप/2006 790 दिनांक 24.5.08 को संशाधित कर सहकारिता विभाग के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर के अतिरिक्त संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जयपुर खण्ड जयपुर व उदयपुर खण्ड उदयपुर समस्त संयुक्त रजिस्ट्रार क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार एवं विशेष लेखा परीक्षक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (आर.टी.आई. प्रकोष्ठ)
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील) सहकारी समितियों, जोधपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों जयपुर खण्ड जयपुर।
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, उदयपुर खण्ड उदयपुर।
6. प्रबंध निदेशक शीर्ष संस्थाएँ, समस्त।
7. फक्शनल अधिकारीगण प्रधान कार्यालय, जयपुर एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी। प्रसार अधिकारी प्रधान कार्यालय
8. संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, समस्त कृपया अपने अधीन समितियों को भी अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
9. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियों समस्त।
10. प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. समस्त।
11. विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, समस्त।
12. सचिव प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. समस्त।





संयुक्त रजिस्ट्रार (मा. सं. वि.) एवं
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी